


राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(2941)विधि/12/ 43

दिनांक: 2/1/13



विभाग के ध्यान में आया है कि उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा अपने संबंधित वृत अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) की टिप्पणी के बिना सीधे ही पंजीयन संबंधी अपनी समस्याओं के लिए मुख्यालय से मार्गदर्शन हेतु पत्र व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार सीधे ही पत्र व्यवहार किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में किसी भी समस्या एवं पंजीयन संबंधी सहित अन्य विधिक बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहने हेतु अपने वृत अधिकारी की प्रासंगिक टिप्पणी के साथ पत्र अग्रेषित किया जावे।

(हिमन्त कुमार गेरा)

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(2941)विधि/12/ 44-494

दिनांक: 2/1/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्त लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(सूर्यप्रकाश पुरोहित)

उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर